वित्त निर्देश 53/2011

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक 396/सी-27655/वित्त/नियम/चार/2011 रायपुर, दिनांक 01 दिसम्बर, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषयः-शासकीय सेवकों की बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति में जाने पर प्रतिनियुक्ति विशेष वेतन।

संदर्भः-वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 11/1186/वित्त/नियम/चार/2003 दिनांक07.01.2004

संदर्भित ज्ञापन में निहित निर्देशानुसार शासकीय सेवकों को बाह्य सेवा में नियोजन पर जाने पर वर्तमान में मुख्यालय परिवर्तन न होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के अंतर्गत अधिकतम रूपये 400 प्रतिमाह की सीमा के अधीन वेतन का 5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से और मुख्यालय परिवर्तन होने की स्थिति में रूपये 600 प्रतिमाह की सीमा के अधीन 10 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता देय है।

2/ छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत स्वीकृत वेतनमानों के संदर्भ में राज्य शासन ने अब यह निर्णय लिया है कि बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शासकीय सेवकों को, मुख्यालय परिवर्तन न होने की स्थिति में उनके प्रतिनियुक्ति पद के ग्रेड वेतन के 20 प्रतिशत के समान और मुख्यालय परिवर्तन होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति पद के ग्रेड वेतन के 40 प्रतिशत के समान प्रतिनियुक्ति भत्ता स्वीकार किया जाये।

3/ राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि शासकीय सेवकों के बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पद पर पदस्थापना अवधि में प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान हेतु विकल्प देने की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त किया जाये।

4/ जिन मामलों में शासकीय सेवकों को बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहने की निर्धारित अधिकतम 4 वर्ष की अवधि के पश्चात् प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि की जाती है, तो भले ही यह वृद्धि समन्वय में आदेश प्राप्त कर की गई हो, 4 वर्ष की

अवधि के पश्चात् बढ़ाई गई किसी भी प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति भत्ता की पात्रता न होने संबंधी वर्तमान व्यवस्था यथावत् रहेगी।

5/ छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता की नई दरें दिनांक 1.12.2011 से लागू होगी। यदि उक्त तिथि के पूर्व किसी शासकीय सेवक के बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के आधार पर प्रतिनियुक्ति भत्ता अथवा विकल्प के आधार पर प्रतिनियुक्ति पद का वेतनमान स्वीकृत किया गया है तो ऐसी स्वीकृति आदेश निरस्त मानी जावेगी तथा उन्हें पूर्व वेतनमान के आधार पर प्रतिनियुक्ति भत्ता की पात्रता होगी। यदि इसके फलस्वरूप अधिक भुगतान हुआ है तो वह वसूली योग्य होगी।

(एस.के. चकवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

NayakD:\Documents and Settings\RAJESH\My Documents\VitNerdesh\pdf_2011\Doc File\53.doc

पृ.क्रमांक 397/सी-27655/वित्त/नियम/चार/2011 रायपुर, दिनांक 01 दिसम्बर, 2011

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग /मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7 महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

Ravindran

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग